भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 278
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

गुजरात में नोटरी लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदनों का लम्बित होना

278. श्री शक्तिसिंह गोहिल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 01.12.2021 की स्थिति के अनुसार गुजरात में नवीनीकरण के लिए कितने नोटरी लाइसेंस संबंधी आवेदन लम्बित हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) गुजरात के लम्बित नोटरी लाइसेंसों का नवीनीकरण कब तक होगा ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : तारीख 01.12.2021 तक, गुजरात राज्य से नोटरी अनुज्ञप्ति के कुल 639 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो नवीनीकरण के लिए लंबित हैं । नोटरी व्यवसाय के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और आवेदक/अधिवक्ता को इसकी विधिमान्यता की अवधि के अवसान की तारीख से 'छःमास' पूर्व समूचित सरकार को नोटरी नियम, 1956 के नियम 8ख के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत करना होता है । इसके अतिरिक्त, व्यसाय के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है और यह सदैव नोटरी की पात्रता/उपयुक्ता का निर्धारण करने के लिए समुचित सरकार के समाधान के अध्यधीन होता है ।

****